

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति- सुगीया देवी पिता- स्व. बिक्रम यादव; 2) श्रीमति- प्रतिमा देवी पिता- स्व. बिक्रम यादव; 3) श्री कुन्दन यादव पिता- श्री परशुराम महतो; ग्राम: आरा , थाना: बालुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम:- आरा,थाना सं. 55 (रेयती भूमि) खाता सं. 102 के अधीन प्लॉट सं.- 1848/2004, 361; एवं खाता सं. 103, के अधीन प्लॉट सं.- 699, 720, 846, 871, 872, 887, 905, 956, 1033, 1116, 1124, 1125, 1835, 1840, 1907 कुल रकबा: - 6.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

बिक्रम यादव  
4/6/23